



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19360

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन, अं./धा. 482, सं. 970 वर्ष 2026

मोहर सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: प्राचीश पांडेय, प्रभात सिंह

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

: शा.अ., अजीत सिंह, वासु लावानिया

सुरक्षित: 16.02.2026

घोषित वाद: 17.03.2026

न्यायालय सं. - 14

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री सुयश द्विवेदी से सहायता प्राप्त, अधिवक्ता श्री प्राचीश पांडे, राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. श्री विवेक गुप्ता, और प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री वासु लावानिया को सुना गया।

2. यह आवेदन निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं. XIX, लखनऊ के विद्वान् न्यायालय द्वारा,
धारा 120-ख, 302, 307, 34, 212, 176, भा.दं.सं., पु.था. विभूति खंड, जिला लखनऊ के
अधीन, मुकदमा अपराध सं. 15 वर्ष 2021 (राज्य बनाम अखंड प्रताप सिंह एवं अन्य)
से उत्पन्न, सत्र विचारण सं. 81/2023 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 को अपास्त
किया जाए।"

3. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि वर्ष 2012 में, सर्वेश सिंह उर्फ सीपू, पूर्व विधान सभा सदस्य, और उनके गनर पर तीन हमलावरों ने गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप प्र.सू.रि. सं. 348 वर्ष 2012 पंजीकृत की गई थी। उपर्युक्त मामले का अन्वेषण केंद्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द कर दिया गया था, और अन्वेषण के पश्चात् मुख्य षड्यंत्रकारी, नामतः, कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त मामले में अजीत सिंह मुख्य साक्षी था, जो 74 आपराधिक मुकदमों वाला एक कुख्यात अपराधी था।

3.1. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि उक्त अजीत सिंह को गुंटू सिंह और उसके साथियों द्वारा धमकी दी जा रही थी कि वह उक्त हत्या के मामले में प्रतिकूल हो जाए, किन्तु अजीत सिंह ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था, जिसके कारण, 06.01.2021 को उसकी हत्या कर दी गई थी। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि उक्त घटना में, आवेदक को भी गोली लगने से गंभीर चोटें आई थीं। तत्पश्चात्, प्र.सू.रि. सं. 15 वर्ष 2021, अं./धा. धारा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



120-ख, 302, 307 सपठित धारा 34, भा.दं.सं. के अधीन, पुलिस थाना, विभूति खंड, लखनऊ में 07.01.2021 को दर्ज की गई थी जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध 05.04.2021 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था। बाद में, एक अनुपूरक आरोप-पत्र भी 04.02.2022 को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, क्योंकि आवेदक और स्वर्गीय अजीत सिंह के परिवार के सदस्य अन्वेषण से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए एक रिट याचिका, अर्थात्, दां.प्रकी. रिट याचिका सं. 25544 वर्ष 2021, श्रीमती रानू सिंह पत्नी स्वर्गीय अजीत सिंह द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई थी, जिसे आदेश दिनांक 30.11.2022 द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वि.अ.या. (दां.) सं. 12751 वर्ष 2022 में चुनौती दी गई थी, जिसमें रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 अपास्त कर दिया गया था और 6 महीने के भीतर मामले का विनिश्चय करने के लिए, मामला आदेश दिनांक 02.04.2024 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था।

3.2. इसके बाद, निवेदन किया गया है कि श्रीमती रानू सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, अर्थात्, दां.प्रकी. रिट याचिका सं. 3180 वर्ष 2024 दाखिल की थी, किन्तु उसका विनिश्चय नहीं किया जा सका था। तत्पश्चात्, उसने पुनः प्रकी.आवेदन सं. 428 वर्ष 2025 दाखिल करके माननीय उच्चतम न्यायालय उपागम किया था, जिसका आदेश दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से, उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हुए कि मामले का निस्तारण तीन महीने के भीतर किया जाए, निस्तारण किया गया था। बाद में, उपर्युक्त रिट याचिका में, रिट न्यायालय ने “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्राधिकारियों को अन्वेषण की प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। तथापि, श्रीमती रानू सिंह ने रिट याचिका सं. 3180 वर्ष 2024 प्रत्याहृत करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था।

3.3. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि श्रीमती रानू सिंह हमलावरों के सामने पक्षद्रोही हो गई थी और उपर्युक्त वापसी आवेदन, और कुछ नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी पर अभियुक्तों द्वारा डाले गए अत्यधिक दबाव का परिणाम है। अंततः, उपर्युक्त रिट याचिका आदेश दिनांक 23.04.2025 प्रत्याहृत के रूप में खारिज कर दी गई थी।

3.4. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि स्वर्गीय अजीत सिंह के परिवार के एक सदस्य राजेश सिंह ने प्र.सू.रि. सं. 15 वर्ष 2021 (उपर्युक्त) का अन्वेषण कैं.अ.ब्यू. को अंतरित करने की प्रार्थना के साथ, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, अर्थात्, रिट याचिका (दां.) सं. 201/2025 दाखिल की थी, जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष नई याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ विनिश्चित की गई थी। तत्पश्चात्, राजेश सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, अर्थात् दां.प्रकी. रिट याचिका सं. 4791 वर्ष 2025 दाखिल की थी, जिसे आदेश दिनांक 18.12.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3.5. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि कैं.अ.ब्यू. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए थे, और तत्पश्चात्, छह अभियोजन साक्षियों को परीक्षित किया गया था। इसी बीच, यह बात पता चली थी कि श्रीमती रानू सिंह, राणा प्रताप सिंह और सविता सिंह उर्फ श्वेता सिंह (अभियोजन साक्षी) को अभियुक्त व्यक्तियों से खतरा था, जिसके कारण वे अभियोजन के वाद का समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए, लोक अभियोजक और परिवादी ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उपर्युक्त तीनों साक्षियों को उन्मोचित करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, श्रीमती रानू सिंह ने इस उन्मोचन आवेदन पर आपत्ति दाखिल की थी, जिसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 17.01.2026 के माध्यम से यंत्रवत् खारिज कर दिया था।

3.6. माननीय उच्चतम न्यायालय के, **मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, ए आई आर 1991 एस सी 1346** में प्रकाशित, **मसाल्टी बनाम उ. प्र. राज्य, 1965 ए आई आर 202**, में प्रकाशित, मामलों में निर्णय और इस न्यायालय के, **अजमेर बनाम उ. प्र. राज्य, आवेदन, अं./धा. धारा 482 सं. 19804/2020**, मामले में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास करते हुए, आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि निष्पक्ष विचारण संचालित किया जाए और यदि ऐसी कोई संभावना है कि कोई साक्षी, जिसका नाम आरोप-पत्र में है, अभियुक्त के साथ मिल गया है, तो

विचारण न्यायालय के समक्ष सामग्री प्रस्तुत होने के बाद भी उसका साक्ष्य परीक्षित नहीं “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया जमा चाहिए। अतः, निवेदन है कि विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को दोषपूर्ण रीति से खारिज कर दिया है, इसलिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

4. विद्वान् अ.शा.अ. श्री विवेक गुप्ता ने, आवेदक की प्रार्थना का विरोध करते हुए, निवेदित किया है कि साक्षियों को प्रस्तुत करना अभियोजन पक्ष के चुनाव पर होता है, और यदि कोई साक्षी संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल हो जाता है, तो अभियोजन को उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, किंतु, किसी साक्ष्य से निर्मुक्त करने के लिए कोई आवेदन पोषणीय नहीं है, इसलिए, आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

5. प्राइवेट प्रत्युत्तरदाता के विद्वान् अधिवक्ता श्री वासु लवानिया ने निवेदित किया है कि आवेदक द्वारा किए गए अभिकथन कि निजी प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त व्यक्तियों के दबाव में है, पूर्णतः निराधार है। उन्होंने जोरदार ढंग से निवेदित किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने आवेदक के उक्त आवेदन को उचित रीति से खारिज किया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि यदि अभियोजन द्वारा किसी साक्षी को नहीं बुलाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे साक्षी को एक न्यायालय साक्षी के रूप में बुलाने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

6. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता, विद्वान् अ.शा.अ., और प्राइवेट प्रत्युत्तरदाता के अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने, और आवेदन की अंतर्वस्तु, आक्षेपित आदेश, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों, और अन्य सुसंगत दस्तावेजों का परिशीलन करने के बाद,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह अविवादित तथ्य है कि प्रश्नगत अपराध का अन्वेषण कैं.अ.ब्यू. द्वारा किया गया था। औप पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के बाद, कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए थे और विचारण किया गया था। स्वीकृत रूप से, आवेदक, जो स्वयं एक घायल साक्षी है, सहित, छह साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है। यह सुस्थापित है कि अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध साबित करने के लिए, अपने चुनाव के अनुसार साक्षियों को प्रस्तुत करना अभियोजन का अधिकार क्षेत्र है, और यदि अभियोजन किसी साक्षी को प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है, तो न्यायालय इसके लिए अभियोजन को विवश नहीं करेगा, यदि और जबतक, न्यायालय यह उचित नहीं समझता है कि न्यायहित में उक्त साक्षी को एक न्यायालय-साक्षी के रूप में बुलाया जाए।

6.1. उपर्युक्त संप्रेक्षणों की दृष्टि से, यह आवेदन, दोषपूर्ण होने के कारण, खारिज किया जाता है।

7. विचारण न्यायालय को, विधि के अनुसार, इस विचारण को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के लिए निदेशित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

मार्च 17, 2026

अर्पण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”